

न तहसीलदार महोदय, ग्राम रामपुर इन्दौरा के खाता संख्या 137 में (वर्तमान जमाबंदी)  
 म. पांजी व/0 रामधन जाति जाट, कुल 3/10 रामधन जाति जाट, रामदेव 5/10 बरकापूर  
 खरिदमुदा में रामधन, रामदेव पि. बरकापूर में गीमा. म. 148 दिनांक 11-12-91 के  
 जमाबंदी में जाति जाट के स्थान पर गांजी दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

प्रमाणित  
 पर-रामपुर (इ.स.)  
 19/09/25

मू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार जाति जाट के स्थान पर गांजी दुरुस्त किया जाना उचित होगा।  
 19/09/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी स्व. म. म. निरी. अनुसार जाति जाट के  
 सांबी जले की दुरुस्त की जाती है।  
 2025  
 456

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 25/09/2025

क्रमांक/165

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुर इन्दौरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 137/140 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	रामदेव पुत्र लखार हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार पांजी पत्नी रामधन हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार शिवरलाल पुत्र रामधन हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार	1955	0.63	रामदेव पुत्र लखार हि. 1/2 जाति गांजी सा. देह खातेदार पांजी पत्नी रामधन हि. 1/4 जाति गांजी सा. देह खातेदार शिवरलाल पुत्र रामधन हि. 1/4 जाति गांजी सा. देह खातेदार	1955	0.63

क्रमांक:- 4983-84 दिनांक:- 25/09/2025

प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर  
 प्रतिक्रिया :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालनाई  
 2. आदेश पत्रावली।

